आपदा पीड़ितों को दोगुना मुआवजा

शहीदों के परिजनों को दस लाख देगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

- बच्चों को उत्तराखंड में मिलेगी मुफ्त शिक्षा
- परिजनों को विशेष पेंशन भी देने की घोषणा

देहरादून। राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद जवानों के साथ ही राहत अभियान के दौरान जान गंवाने वालों कर्मियों के परिजनों को दस-दस लाख मुआवजा राशि और बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। सरकार ने परिजनों को विशेष पेंशन देने के साथ ही दैवी आपदा में हर तरह के नुकसान की मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है।

मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवानों के परिजन अगर उत्तराखंड में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अभियान के दौरान जान गंवाने वाले राज्य पुलिस और अन्य विभागों के कर्मियों के परिजनों को भी यही सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि आपदा से सभी तरह केनुकसान के लिए मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। क्षति की रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी। केदार घाटी में गौरीकुंड से केदारनाथ तक के ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल, धर्मशालाओं आदि के लिएअलग से पैकेज घोषित किया जाएगा। आपदा राहत के मौजूदा नियम में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। प्रदेश के एक सौ से ज्यादा गांवों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं और सड़कें बह गई हैं। इन गांवों में रसद की आपूर्ति फिलहाल हेलीकॉप्टर से की जाएगी।

मुआवजा राशि की सूचीः पेज 13